भारत गणराज्य की सरकार और स्लोवाक गणराज्य की सरकार के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, विद्यान, पर्यटन, सेल-कृद और जन-संचार माध्यम के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में करार

भारत गणराज्य की सरकार और स्तोबाक गणराज्य की सरकार श्रीजन्हें अब से सींबदाकारी पक्षकार कहा जाएगा?

मैत्री की पारपास्क भावना से अभिपेरित होकर.

दोनों संविदाकारी पक्षकारों के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेल-कृद और जन-संचार माध्यम के क्षेत्रों में मैत्री और सहयोग विकिसत और सुदृढ़ करने के अपने-अपने इरादे को अभिव्यक्त करते हुए,

निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं:

अनुखेद 1

संविदाकारी पक्षकार संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेल-कृद और जन-संचार माध्यम के क्षेत्रों में सहयोग को बनाप त्खने और सुदृद करने का प्रयास करेंगै।

अनुस्केद 2

संविदाकारी पक्षकार पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे तथा संविदाकारी पक्षकारों की शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद और शोध संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे और संबंधों के विकास को समर्थन देंगे।

अनुस्तेद 3

संविदाकारी पक्षकार अपनी-अपनी शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन, प्रशिक्षण, शोध और विशेषज्ञना संबंधी कार्यों को निष्पादित करने के लिए दूसरे पक्षकार दारा अनुशीसत राष्ट्रिकों का अपने-अपने संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार स्वागत करेंगै।

अनुकेद 4

इस क्यर की शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य से संविदाकारी पक्षकार पक दल की स्थापना करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें पृत्येक संविदाकारी पक्षकार के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे। दल के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

१क १ एक विस्तृत आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करना, और

६सं करार के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करते रहना।

दल आवश्यकता पड़ने पर बैठक बुलाएगा अन्यधा सूचना लिखित रूप में राजनियक माध्यमों से प्रेषित की जाएगी।

अनुखेद 5

यह करार, संविदाकारी पश्चकारों द्वारा संवैधानिक व वैधानिक प्रक्रियाओं और अधिसूचना संबंधी कार्य संपन्न कर लिए जाने पर लागू होगा और पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। यह करार और पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक लागू रहेगा जब तक संविदाकारी पश्चकारों में से कोई एक संविदाकारी पश्चकार करार की अवधि की समाप्ति से पूर्व इसे समाप्त करने से संबंधित लिखित नोटिस छः माड पहले दूसरे संविदाकारी पश्चकार को नहीं देगा।

जिस तारीख से वर्तमान करार लागू होगा, संविदाकारी पक्षकार भारत गणराज्य और चैकोस्लोवाक गणराज्य के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में दिनांक 7 जुलाई, 1959 को हस्ताक्षरित हुए करार को उस तारीख से निष्प्रभावी समझेंगे। नई दिल्ली में, वर्ष उन्नीस सो सबह ईशक के फाल्युन माह के इक्कीसवें दिन तद्वुसार वर्ष उन्नीस सो छियानवे ईईं ति सं के मार्च माह के ग्यारहवें दिन हिंदी, स्लोवाकी और अंग्रेजी भाषाओं, प्रत्येक में दो-दो मूल प्रतियों में, हस्ताक्षरित किया गया। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

बाकामेड केपर १९५

भारत यणराज्य की

सरकार की ओर से

स्तोवाक गणयन्य की

सरकार की ओर से

AGREEMENT

between

the Government of the Republic of India and the Government of the Slovak Republic

on cooperation in the spheres of culture, art, education, science, tourism, sports and mass media

The Government of Republic of India and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the Contracting Parties)

Moved by the traditional feelings of friendship,

Declaring their intention to develop and strengthen friendship and cooperation between both Contracting Parties in the spheres of culture, art, education, science, tourism, sports and mass media.

Have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall endeavour to maintain and strengthen cooperation in the fields of culture, art, education, science, tourism, sports and mass media.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall promote mutual cultural exchanges, to stimulate cooperation and support the development of relations between the educational, scientific, cultural, sports and research institutions of the Contracting Parties.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall receive, as far as their own resources and requirements shall permit, nationals recommended by the other party for study, training, carrying out research work and specialisation in its educational, cultural, scientific and technical institutions.

ARTICLE 4

For the purpose of carrying out the terms of this agreement, the Contracting Parties agree to set up a group consisting of an equal number of representatives of each Contracting Party. The objectives of the group will be:

a/ To formulate a detailed programme of exchanges, and

b/ To keep under periodical review the implementation of the agreement.

The group shall meet as and when necessary, otherwise the communication shall be carried out in written form through diplomatic channels.

ARTICLE 5

This agreement shall enter into force on the completion of constitutional and legal procedures and notification thereof by the Contracting Parties and shall remain in force for a period of five years. The agreement shall remain in force for another period of five years unless either of the Contracting Parties gives to the other a written notice of six months in advance of its intention to terminate it before the date of its expiry.

On the date when the present agreement will come into force, the Contracting Parties shall consider as null and void the agreement between the Government of the Republic of India and the Czechoslovak Republic on cultural cooperation, signed on July 7, 1959.

Signed in New Delhi on the eleventh day of March nineteen hundred ninety six (A.D.) corresponding to 21st Phalgula nineteen hundred seventeen (SAKA)

in two originals each in Hindi, Slovak and English languages, all the texts being equally authentic. In case of doubt, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC